



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-14102024-257843
CG-RJ-E-14102024-257843

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4084]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4084]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

जयपुर, 10 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4447(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेलवे (अमेंडमेंट) अधिनियम 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) जिले के संबंध में राजस्थान राज्य में लुणी - समदडी-भीलडी दोहरीकरण परियोजना (271.97 कि.मी.) की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी	तहसील	जिला
1	2	3	4
1	उप खण्ड अधिकारी, जालौर	जालौर	जालौर
2	उप खण्ड अधिकारी, रानीवाडा	रानीवाडा	सांचौर

[फा. सं. उपरे/मुख्यालय/सं.&नि./443599200 भाग-10]

ओम प्रकाश तंवर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/(निर्माण-द्वितीय)

MINISTRY OF RAILWAYS**[North Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Jaipur, the 10th October, 2024

S.O. 4447(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008, the Central Government hereby authorize the officers mentioned in column (2) of the table below as “Competent Authority” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the special railway project of Doubling between Luni – Sandari-Bhildi (271.97 km) in the State of Rajasthan relating to District mentioned in Column relating to the district mentioned in column(4) of the said Table for the purpose of execution, maintenance, management and operation.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Tehsil	District
1	2	3	4
1	Sub Divisional Officer, Jalore	Jalore	Jalore
2	Sub Divisional Officer, Raniwara	Raniwara	Sanchoe

[F. No. NWR/HQ/S&C/443599200 Vol. -X]

OM PRAKASH TANWAR, Chief Administrative Officer (Const-II.)